संख्या-43/2022/543/सैंतीस-2-2022/001-1(2)/2013टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-27 अप्रैल, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17/सा0-एक/एक्स-120(7)/पा.क्ली.क्रिया./2022-23, दिनांक-13.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-81.22 लाख (रूपये इक्यासी लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01-वेतन	39.14
03-मंहगाई भत्ता	14.48
06-अन्य भत्ते	3.80
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
29-अनुरक्षण	2.00
39-औषधि तथा रसायन	8.00
42-अन्य व्यय	2.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.00
55-मकान किराया भत्ता	7.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.80
योग-	**81.22**

(रूपये इक्यासी लाख बाईस हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों/कार्यों में न किया जाय।
5. सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व सक्षम स्तर से कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30.12.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403001010700 (पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	01 वेतन	39,14,000 (रुपये उनतालीस लाख चौदह हजार मात्र)
2	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	03 मंहगाई भत्ता	14,48,000 (रुपये चौदह लाख अड़तालीस हजार मात्र)
3	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	06 अन्य भत्ते	3,80,000 (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)
4	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
7	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	015	2403001010700	43	2,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	सामग्री एवं सम्पूर्ति	(रुपये दो लाख मात्र)
9	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	55 मकान किराया भत्ता	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
10	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**81,22,000** **(रुपये इक्यासी लाख बाईस हजार मात्र)**

महायोग	81,22,000 (रुपये इक्यासी लाख बाईस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-43/2022/543(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(2)/2013टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।